न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 3599/2016 प्रार्थना पत्र

सुरेश पिता मांगीलाल ब्राह्मण मेनारिया, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थी

//बनाम//

1– रामलाल पिता मांगीलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
2– शम्भुलाल पिता मांगीलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
3– पृथ्वीराज पिता मांगीलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
4– पवन कुमार पिता मांगीलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
5– श्रीमती चांदी बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी रामलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा, हा.मु. कानका, पोस्ट घसुन्डी, तहसील जावद जिला नीमच।
6– श्रीमती केसर बाई पत्नी मांगीलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
7– राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 20.02.2018

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 4 मांगीलाल के पुत्र, विपक्षी संख्या 5 मांगीलाल की पुत्री व विपक्षी संख्या 6 मांगीलाल जी की बेवा है। प्रार्थी के पिता मांगीलाल की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा साकरिया की खाता संख्या 150 की आराजी नं. 495, 511, 513 कुल किता 3 कुल रकबा 2.0900 हेक्टेयर भूमि स्थित है। मांगीलाल जी का देहान्त करीब 3–4 वर्ष पूर्व हो चुका है जिनकी विरासत का इन्तकाल संख्या 5 दिनांक 29.01.2015 को निर्णित हुआ जिसमें प्रार्थी को छोडकर मांगीलाल जी के समस्त वारिसान का नाम अंकित किया गया जबकि प्रार्थी भी मांगीलाल जी का सगा पुत्र है। विपक्षीगण का नाम खातेदारी में अंकित हो जाने से विपक्षीगण प्रार्थी के हिस्से से इन्कार कर रहे हैं, विवादित आराजीयात को खुर्द बुर्द हस्तान्तरित करने पर आमदा हैं इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित है, विपक्षीगण को पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी और वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जाएगा। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। इसलिए प्रार्थी का

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षीगण 1, 3, 4 व 5 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा इकबाली जवाब प्रस्तुत किया। अन्य विपक्षीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षी सुनी गई। दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2069–72 ग्राम साकरिया की खाता संख्या 150 की छायाप्रति, ग्राम साकरिया के नामान्तरकरण संख्या 5 की छायाप्रति, ग्राम पंचायत रानीखेडा के राशनकार्ड संख्या 200002425556 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। नकल जमाबन्दी अनुसार प्रश्नगत आराजीयात मांगीलाल पिता उंकारलाल ब्राह्मण के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो विरासत से विपक्षीगण के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थी स्वयं को मांगीलाल का सगा पुत्र बताता है जिसकी ताईद उपस्थित विपक्षीगण ने भी अपने जवाब में की है। प्रार्थी के मांगीलाल का पुत्र होने की स्थिति में विरासत में प्रार्थी का भी हिस्सा बनने की सम्भावना है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है। विपक्षीगण ने भी इकबाली जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विपक्षीगण मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक विवादित भूमि वाके मौजा साकरिया की खाता संख्या 150 की आराजी नं. 495, 511, 513 कुल किता 3 कुल रकबा 2.0900 हेक्टेयर के मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति यथावत कायम रखें। प्रकरण फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आज दिनांक 20.02.2018 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा